1	2	3
15	Orissa	7
16	Punjab	18
17	Rajasthan	4
18	Sikkim	..
19	Tamil Nadu	27
20	Tripura	1
21	Uttar Pradesh	13
22	West Bengal	14
23	Mizoram	..
24	Arunachal Pradesh	..
25	Goa	..
26	Delhi	2
		193

जाली शैक्षिक संस्थान

1269. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश की विभिन्न संस्थाओं को यह चेतावनी दी है कि कुछ शिक्षा संस्था जाली हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि आयोग ने सरकार से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम में आवश्यक संशोधन करने का अनुरोध किया है ताकि इन जाली संस्थाओं के खिलाफ कार्यवाही की जा सके ;

(ग) क्या सरकार को इस जाली शैक्षिक संस्थाओं के विद्यमान होने के बारे में जानकारी है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इन जाली संस्थानों के खिलाफ कार्यवाही करने हेतु सरकार ने विधि में संशोधन करने का निर्णय लिया है, यदि हां, तो संशोधन कब तक कर दिया जाएगा और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समय-समय पर प्रैस-विज्ञप्ति जारी करता रहा है जिसमें छात्रों तथा आम जनता को कुछ ऐसी संस्थाओं के विरुद्ध चेतावनी दी जाती है जो वि०अ०आ० अधिनियम के अंतर्गत स्वयं को विश्वविद्यालय कहलाने अथवा डिग्रियां प्रदान करने हकदार नहीं हैं ऐसी संस्थाओं की एक सूची विवरण में दी गई है। वि० अ० आ० ने वि० अ०आ० अधिनियम को संशोधित करके ऐसे जाली विश्वविद्यालय चलाने अथवा स्थापित करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध दण्ड बढ़ाने के लिए सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है।

(घ) मामला विचाराधीन है।

स्वशोधित विश्वविद्यालयों/विद्यापीठों की सूची

विवरण

1. मैथिली विश्वविद्यालय, दरभंगा (बिहार)।

2. तक्षशीला केन्द्रीय विश्वविद्यालय, उत्तम नगर, नई दिल्ली।

3. महिला ग्राम विद्यापीठ/विश्वविद्यालय (म.नि.) प्रयाग, इलाहाबाद (उ० प्र०)

4. वाराणसिया संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी (उ.प्र.)।

5. कामर्शियल विश्वविद्यालय लिमिटेड, इरियागंज, दिल्ली।

6. टेस्टेटर अनुसंधान विश्वविद्यालय, वोदिनपा-कनूर (तमिलनाडु)।

7. श्री नारायण मुक्त विश्वविद्यालय, क्विलोन (केरल)।

8. गांधी हिन्दी विद्यापीठ, प्रयाग, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)।

9. इलैक्ट्रो काम्प्लेक्स होमियोपैथी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, कानपुर (उत्तर प्रदेश)।

10. न्यूजेरूसलम विश्वविद्यालय, कुथुपारंवा, कैनौर (केरल)।

11. विश्व सामाजिक कार्य विश्वविद्यालय, पेरूनगुजी (केरल)।

12. नेताजी सुभाष चन्द्र बोस विश्वविद्यालय (मुक्त विश्वविद्यालय) अचलताल, अलीगढ़ (उ. प्र.)।

13. श्रीमती महादेवी वर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, मुगल सराय (उ. प्र.)।

14. डी.डी.श्री. संस्कृत विश्वविद्यालय, पुथुर तिरिची (तमिलनाडु)।

15. अमृतसर विश्वविद्यालय, अमृतसर।

16. आर्य विश्वविद्यालय, श्रीनगर।

17. बाइबिल विश्वविद्यालय अम्बूर (उत्तरी आरकोट)।

18. पूर्वी आर्थोडक्स विश्वविद्यालय अम्बूर (उत्तरी आरकोट)।

19. विज्ञान ग्लोब विश्वविद्यालय, कुवाकोनम।

20. सैंट जोन्स विश्वविद्यालय, किज्ञानाटम।

21. राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, नागपुर।

22. स्व संस्कृति विश्वविद्यालय, किज्ञानाटम।

23. संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय, दिल्ली।

24. व्यावसायिक विश्वविद्यालय, अमृतसर तथा दिल्ली।

25. पश्चिमी कपूरथला विश्वविद्यालय।

26. उत्तर प्रदेश विश्वविद्यापीठ, कोसी कलां (मथुरा)।

27. महाराणा प्रताप शिक्षा निकेतन, विश्वविद्यालय, प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश)।

Closing: of Brushware Limited, Kan-pur tor on-Payment of Power Bills

1270 PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE: WiU the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Brush-ware Limited, Kanpur had to be closed down for about a month due to disconnection of power on account of non-payment of power bills;

(b) whether no production was achieved and the company had to suffer financially due to mismangement and lack of financial resources-

(c) whether Government have taken any decision to provide finance to the company; and

(d) if so, the details thereof and if not the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE) OF THE; MINISTRY OF TEXTILES (SHRI ASHOK GEHLOT): (a) No, Sir.